जतनलाल बनाम भानीराम आदि
2025 / 43
निर्णय दिनांक:–20.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025 / 43 — दर्ज तिथि:– 01.07.2025

1. जतनलाल पुत्र लिखमाराम मेघवाल निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)

.................प्रार्थी

बनाम

1. भमानीराम पुत्र मालाराम धाणक निवासी ग्राम घांघ तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चूरू जिला चूरू (राज.)

.................अप्रार्थीगण

3. जसवीर पुत्र जतनलाल मेघवाल निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. मंगवानी पत्नी स्वर्गीय लिखमाराम मेघवाल निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. सुभाषचन्द्र पुत्र लिखमाराम मेघवाल निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. सुशीला पुत्री लिखमाराम मेघवाल निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तोष पुत्री लिखमाराम मेघवाल निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. मनोज कुमारी पुत्री सन्तोष पुत्री लिखमाराम मेघवाल निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. सुरेश कुमार पुत्र सन्तोष पुत्री लिखमाराम मेघवाल निवासी ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:– श्री हीरालाल मंडार
अप्रार्थी सं. 1:– श्री नरेन्द्र सिहाग
अप्रार्थी सं. 4 ता 9:– श्री पंकज प्रजापत

Signature Not Verified
...त धारा–111, 128
...भू–राजस्व अधिनियम–1956

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:49 IST
Reason: SelfAttested

जतनलाल बनाम भानीराम आदि
2025 / 43
निर्णय दिनांकः—20.04.2026

—: निर्णय :—

निर्णय तिथिः— 20.04.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण गांव घांघू के निवासीगण हैं। प्रार्थी व गोण अप्रार्थीगण संख्या 03 ता 09 की खातेदारी कृषि भूमि गांव घांघू तहसील चूरू में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1462 / 1190 तादादी 0.5059 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1461 / 1190 तादादी 0.4300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1460 / 1190 तादादी 0.4489 हैक्टेयर है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 से साबित है।
2. कृषि भूमि खसरा नम्बर 1192 / 707 के खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 01 भानीराम प्रार्थी की ऊपर वर्णित खातेदारी कृषि भूमि के पूर्वी दिशा में रोड़ के बाद प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के चिपता पड़ौसी है। प्रार्थी के खातेदारी खेत में गांव घांघू से गांव लाखाऊ को जाने वाली रोड़ निकलने पर प्रार्थी की कुछ भूमि रोड़ के पूर्वी दिशा में शेष रह गई जिसके खसरा नम्बर ऊपर वर्णित है जिसको अप्रार्थी सं. 01 द्वारा अपनी कृषि भूमि की मिटटी आदि को काटने के कारण व अप्रार्थी आये दिन प्रार्थीगण के खातेदारी ऊपर वर्णित कृषि भूमि की पूर्वी सींव की ओर सींव को नष्ट करके प्रार्थी की कृषि भूमि की ओर बढ़ता रहता है जिस कारण सीमाओं का विवाद रहता है वा आये दिन लड़ाई झगड़ा रहता है। अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सीव को काटकर नष्ट कर दिया वा प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की सींव में लगी पटिटयों को उखाड़ कर सींव को नष्ट कर दिया वा प्रार्थी की कृषि भूमि की तरफ बढ़ने पर आमादा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 01 को अपनी कृषि भूमि की नप्ती करवाने एवं पुख्ता सीमांकन करने हेतु बार बार कहा लेकिन अप्रार्थी सं. 1 अपनी कृषि भूमि की नप्ती के बजाय आये दिन लड़ाई झगड़ा करता है व प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के बीच की सींव को नष्ट कर दिया है वा सीमाओं का विवाद कर रहा है।
3. प्रार्थी ने आये दिन लड़ाई झगड़ा एवं सीमाओं के विवाद से निजात पाने के लिए प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश कर सीमा ज्ञान करवाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। श्रीमान् तहसीलदार महोदय चूरू के आदेश क्रमांक भू.अ. / 511 दिनांक 02.06.2025 की पालना में दिनांक 04.06.2025 को हल्का पटवारी घांघू द्वारा रोही ग्राम घांघू के खेत ख. नं. 1462 / 1190, 1461 / 1190 व 1460 / 1190 पर पहुंचा। मौके पर जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया मौके पर पुख्ता सीमाएँ मौजूद नहीं है वा प्रार्थीगण की उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक कम पाई गई।
4. प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार एवं सीमाज्ञान के आधार पर अपनी ऊपर वर्णित खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश करवाकर अपनी पुख्ता सीमा कायम करवाना चाहता है एवं अपनी खातेदारी कृषि भूमियों की पुख्ता सीमांकन [illegible] नहीं करने पर पड़ोसियों के साथ आये दिन लड़ाई झगड़ा ना हो [illegible] जावे अगर पत्थरगढी बिना आदेश के करते हैं तो अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के साथ झगड़ा करने पर आतुर हो जाता है और विवाद व खून खराबा बढ़ने की सम्भावना हो जाती है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि न्यायालय से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश की जाकर सीमाओं पर पुख्ता पत्थरगढी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:49 IST
Reason: SelfAttested

कर सीमांकन स्पष्ट करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी के साथ किसी भी पड़ौसी से कोई विवाद न हो एवं प्रार्थी अपने खातेदारी खेत को शान्ति से काश्त कर सके।

5. हल्का पटवारी से राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने कहा कि हम मौके पर सीमाज्ञान कर सकते हैं जब तक सक्षम न्यायालय का आदेश पत्थरगढी बाबत नहीं हो जाता तब तक कानूनन पत्थरगढी नहीं कर सकते इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है।

6. काश्त का समय चल रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि को जो राजस्व अभिलेख व हल्का पटवारी के सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाकर शान्तिपूर्वक पुख्ता सींव कायम कर अपनी कृषि भूमि को काश्त करना चाहता है ताकि भविष्य में खातेदारी कृषि भूमि की नीवं सींव को लेकर प्रार्थी के साथ कभी किसी पड़ौसी का विवाद न हो।

7. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण संख्या 03 ता 09 सह खातेदार काश्तकार हैं इसलिए इन सबकी सहमति स्वरूप इनको पक्षकार बनाया गया है ताकि प्रार्थना पत्र में कोई तकनीकी कमी न हो वा किसी को आपित ना रहे तथा प्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार महोदय चूरू को सभी प्रक्रिया करनी है इसलिए तहसीलदार महोदय को पक्षकार बनाया गया है।

8. वादगत कृषि भूमि श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इस कारण श्रीमान् जी को इस प्रार्थना पत्र के प्रति हर प्रकार के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गांव घांघू में स्थित खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1462 / 1190 तादादी 0.5059 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1461 / 1190 तादादी 0.4300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1460 / 1190 तादादी 0.4489 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू की कृषि भूमि की पैमाईश की जाकर मौके पर प्रार्थी की ऊपर वर्णित खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढी राजस्व रिकॉर्ड व हल्का पटवारी के सीमाज्ञान के आधार पर अनुभवी पटवारी व गिरदावर से मौके पर करवाई जाकर सीमांकन कर पुख्ता सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे। श्रीमान् जी की बड़ी कृपा होगी।

9. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल मंडार ने वकालतनामा पेश किया। गौण अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज प्रजापत ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 भूमिधारी है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

1. प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 में अंकित तथ्य प्रार्थी की कृषि भूमि होना स्वीकार है परन्तु उक्त कृषि भूमि के खसरा नम्बर व माप जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है प्रार्थी स्वयं अपने दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित करें।
2. प्रार्थना–पत्र की मद [illegible] की भूमि प्रार्थी की भूमि के चिपती होने के सिवाय अंकित त[illegible] करवाये जाने से अस्वीकार है अप्रार्थी द्वारा किसी [illegible] किया गया है प्रार्थी व अप्रार्थी की कृषि भू[illegible]नी हुई है तथा सींव को लेकर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:49 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 मे अंकित तथ्य गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है।

4. प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 मे अंकित तथ्य गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है मौका पर सीमा पर पुख्ता सींव डली हुई है जिस बाबत कभी कोई विवाद नही रहा है।
5. प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 5 व 6 मे अंकित तथ्य गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है सींव को लेकर कभी कोई विवाद नही रहा है।
6. प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 7 व 8 कानूनी होने से जबाब की आवश्यकता नही है। तथा चाहा गया अनुतोष मनमाना होने से खारिज योग्य है।

विशेष कथन

7. प्रार्थी प्रार्थी की भूमि मे जब सड़क निकाली गई तब प्रार्थी ने उक्त सड़क रास्ता से ठोड़ा हटकर अप्रार्थी की भूमि की सींव के पास से होकर निकलवा दी जबकि नक्सा मे रास्ता थोड़ा दूरी पर था अब लालचवंश प्रार्थी जानबूझकर सड़क के दुसरी और अपनी भूमि होना बता रहा है जबकि अप्रार्थी की भूमि के चारों तरफ पुख्ता सींव बनी हुई है तथा सींव को लेकर कभी कोई विवाद नही रहा है।

अतः जबाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मात्र अप्रार्थी को तंग परेसान करने की नियत से पेश किया गया होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की बड़ी कृपा होगी।

10. अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी विवादित खसरा नंबरों का पंजीकृत खातेदार काश्तकार है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 यह स्पष्ट करती है कि यदि किन्हीं दो खेतों की सीमाओं को लेकर विवाद है या सीमा चिह्न नष्ट कर दिए गए हैं, तो राजस्व न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उनका पुनः सीमांकन और पत्थरगढ़ी करवाए। वर्तमान मामले में अप्रार्थी द्वारा आए दिन सींव को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है, जिससे प्रार्थी का विधिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। माननीय न्यायालय का ध्यान दिनांक 04.06.2025 की हल्का पटवारी की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। तहसीलदार महोदय के आदेश पर हुए उस सीमाज्ञान में स्पष्ट पाया गया कि मौके पर प्रार्थी का रकबा राजस्व रिकॉर्ड से कम है । यह रिपोर्ट स्वतः सिद्ध करती है कि मौके पर पैमाइश और पत्थरगढ़ी की आवश्यकता है। अप्रार्थी का यह तर्क कि 'सींव बनी हुई है' निराधार है। यदि सींव स्पष्ट होती, तो पटवारी की रिपोर्ट में रकबा कम क्यों आता? पत्थरगढ़ी का उद्देश्य किसी का हक छीनना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड के अनुसार नक्शे को जमीन पर उतारना है। इससे भविष्य में होने वाले विवाद की संभावना समाप्त होगी।

11. अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा लगाए गए मिट्टी काटने या सींव नष्ट करने के आरोप पूरी तरह काल्पनिक और द्वेषपूर्ण हैं। मौके पर दशकों से पुख्ता मेड़ (सींव) बनी हुई है और दोनों पक्ष अपनी–अपनी सीमाओं में खेती कर रहे हैं। प्रार्थी केवल इस कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अप्रार्थी पर दबाव बनाना चाहता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रार्थी ने स्वयं सड़क निर्माण के समय नक्शे के विपरीत जाकर सड़क को अप्रार्थी की भूमि की ओर [illegible] उस गलती को छिपाने और अप्रार्थी की भूमि हड़पने के लिए रकबा कम [illegible] बना रहा है। प्रार्थी स्वयं अपने गलत आचरण का लाभ नहीं [illegible] की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रार्थना पत्र खारिज [illegible]

12. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। [illegible]ण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:49 IST
Reason: SelfAttested

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

13. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

14. आज यह प्रार्थना–पत्र धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीमा–ज्ञान (सीमांकन) एवं पत्थरगढ़ी के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कि ग्राम घांघू स्थित विवादित खसरा नंबरान की सीमाओं को पड़ोसी काश्तकार द्वारा खुर्द–बुर्द कर दिया गया है। प्रार्थी का कथन है कि सड़क निकलने के कारण भूमि दो भागों में विभाजित हो गई है और हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 04.06.2025 को किए ग[illegible] में प्रार्थी का रकबा राजस्व रिकॉर्ड की तुलना में मौके पर कम पाया गया है। [illegible] व्यवस्था एवं पुख्ता सीमांकन हेतु पत्थरगढ़ी की आज्ञा प्रदान की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:49 IST
Reason: SelfAttested

15. अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के समस्त अभिकथन अस्वीकार किए गए। अप्रार्थी का मुख्य तर्क है कि मौके पर सींव पुख्[illegible]नी हुई है और प्रार्थी ने सड़क निर्माण के समय स्वयं नक्शे के विपरीत अतिक्रमण किया था। अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थी का यह कृत्य केवल अप्रार्थी को परेशान करने एवं उसकी भूमि हड़पने की नियत से किया गया है।

16. उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों तथा हल्का पटवारी की सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रार्थीगण विवादित भूमि के पंजीकृत खातेदार हैं। धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का मुख्य उद्देश्य खातेदारों के मध्य सीमा संबंधी विवादों का वैज्ञानिक एवं विधिक निस्तारण करना है ताकि शान्ति व्यवस्था बनी रहे। पत्रावली पर मौजूद हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 04.06.2025 से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का रकबा रिकॉर्ड के अनुसार पूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल मौखिक आपत्तियों के आधार पर पत्थरगढ़ी के विधिक अधिकार को रोका नहीं जा सकता। पत्थरगढ़ी की प्रक्रिया से किसी भी पक्ष के प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह केवल राजस्व नक्शे के अनुसार धरातल पर सीमाओं का अंकन मात्र है। अतः न्यायहित हेतु प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 1462 / 1190 / 0.5059 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1461 / 1190 / 0.4300 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1460 / 1190 / 0.4489 हैक्टेयर, स्थित रोही घांघू तहसील एवं जिला चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की निष्पक्ष टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में राजस्व अभिलेखों एवं नक्शे के अनुसार विधिवत सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत विधिवत नोटिस / सूचना तामील करवाते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। यह आदेश केवल सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी तक सीमित रहेगा तथा इससे किसी भी पक्ष के स्वामित्व, कब्जा अथवा विभाजन संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 20.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)